कार्यालय जिलाधिकारी, वाराणसी।

संख्या 5697 /जि0आ0अ0/ई–टेण्डर/पुर्नव्यवस्थापन/2020–21 दिनांक:दिसम्बर 30 2020

विज्ञप्ति

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्रांक 26444/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2020–21 दिनांक 25–01–2020 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में विदेशी मदिरा दुकान कोइलीपुल का अनुज्ञापन निरस्तीकरण के उपरान्त अवशेष अवधि के लिए ई–टेण्डर/ऑफर के माध्यम से पुर्नव्यवस्थापन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। दुकान का विवरण निम्नवत् है।

क्रम सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	प्रास्थिति	वर्ष 2020– 21 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस	वर्ष 2020–21 हेतु प्रतिभूति धनराशि	धरोहर धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2		3	4	6	7	8
1	कोइलीपुल (19226)	विदेशी मदिरा	ग्रामीण	170000	17000	17000	170000

पुनर्व्यवस्थापन हेतु आन–लाइन टेण्डर आमंत्रित किये जाने हेतु समय सारणी निम्नवत् है :–

1.	Tender publishing date	31-12-2020 at 15:30
2.	Document download start date	31-12-2020 at 15:30
3	Document download end date	08-01-2021 at 15:30
4	Pre bid meeting date	08-01-2021 at 04:00
5	Bid submission start date	31-12-2020 at 04:00
6	Bid submission Closing date	08-01-2021 at 15:30
7	Technical bid opening date	09-01-2021 at 11:30
8	Financial bid opening date	09-01-2021 at 12:30
9	The place of bid opening	Raifal Club Varanasi
10	Tender inviting Officer	Collector

ई–टेण्डर भरे जाने हेतु नियम/शर्ते

1. वर्ष 2020–21 हेतु आवेदन/व्यवसथापन से सम्बन्धित प्रकिया वेवसाइट **www.etender.up.nic.in** पर सम्पादित की जायेगी तथा व्यवस्थापन सम्बंधित विस्तृत विवरण जनपद की वेवसाइट **www.varanasi.nic.in** पर भी उपलब्ध रहेगा।
2. उक्त विदेशी मदिरा दुकान कोइलीपुल हेतु प्राप्त ऑफर में सर्वाधिक वार्षिक लाइसेंस फीस के ई–टेण्डर/ऑफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई–टेण्डर/आफर प्राप्त होने की दशा में मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई–टेण्डर/आफर में से एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
3. उक्त दुकान के व्यवस्थापनोपरान्त अवशेष अवधि हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगा।
4. उक्त विदेशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बंधित दुकान के कुल लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला आबकारी अधिकारी वाराणसी के नाम बना हो, ही स्वीकार किये जायेगें। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
5. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 20000/– प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा, जो **https://www.upexciseonline.in** पर चालान डिपोजिट ऑप्शन में निर्धारित चालान हेड 0039–00–800–00 (अन्य मद) तथा जी–6 हेड 08 (देशी/विदेशी/बीयर के फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु फार्मो की प्रोसेसिंग फीस) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
6. उक्त विदेशी मदिरा दुकान का पुर्नव्यवस्थापन माननीय सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
7. आवेदक प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा–सालवेंसी प्रमाण–पत्र आधार, कार्ड, पैनकार्ड, आई0टी0आर0 आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई–टेण्डर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ई–टेण्डर पोर्टल के फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी। दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक/कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी से प्राप्त की जा सकती है।

30/12/2020

(करुणेन्द्र सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
वाराणसी।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी,
वाराणसी।